राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर
G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur
E-Mail- caodlb@gmail.com
Tel No. / Fax No.- 0141-2223074

क्रमांक : प6(ख)( )लेखा / डीएलबी / नि.प्र. / न.नी / म.ले / 15–16 / 23517   दिनांक 17-1-18

परिपत्र

विषयः– महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के क्रम में।

विभाग के ध्यान में आया है कि कतिपय नगरीय निकायो द्वारा महालेखाकर एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना निर्धारित अवधि में नही भिजवाई जा रही है। इस संबंध में कार्यालय महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा भी विभिन्न पत्रों के माध्यम से निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनुपालना निर्धारित अवधि में नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित भिजवाने हेतु अनुरोध किया जाता है। जिसके क्रम में विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना तय समय में भिजवाने हेतु पूर्व में भी विभिन्न पत्रों / परिपत्रों के माध्यम से निर्देशित किया जाता रहा है। बावजूद इसके कतिपय निकायों द्वारा निर्धारित समयावधि में निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी के साथ महालेखाकार एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को नहीं भिजवाई जाती है। इसको वित्त विभाग, महालेखाकर कार्यालय एवं शासन के उच्च स्तर पर इसे गम्भीरता से लिया जा रहा है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि महालेखाकर एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रथम अनुपालना नियंत्रण अधिकारी की टिप्पणी सहित निर्धारित अवधि में सीधे ही महालेखाकार कार्यालय एवं स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें। तथा की गयी कार्यवाही से इस विभाग को भी समय–समय पर अवगत करावें।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प6(ख)( )लेखा / डीएलबी / नि.प्र. / न.नी / म.ले / 15–16 / 23518-736   दिनांक 17-1-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

01. महालेखाकार, कार्यालय प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राज0 जयपुर।
02. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षैत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर / जोधपुर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर / अजमेर / भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधीन नगरीय निकायों से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम एवं सारगर्भित अनुपालना सुनिश्चित करावें।
04. आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम / पालिका / परिषद समस्त।
05. प्रभारी आईटी प्रकोष्ठ / प्रभारी ई–ग्वर्नेंस / समन्वयक, सीएमएआर को वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।

(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी